प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 06 / 2020

दायर दिनांक – 19.02.2020

निर्णय दिनांक – 02.10.2021

जीसीएमएस नं0 – 2020 / 00017

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री रामदेव पुत्र श्री छगना राम जाट 2. श्री उगमाराम पुत्र श्री हजारीराम जाट निवासीयान रावत खेड़ा तहसील डेगाना जिला		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री एस. के. चौधरी, अधि0, प्रार्थीगण

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम लेसवा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी [illegible] संवत् 2069–72 के खाता सं. नया 5 पुराना 5 के खसरा नंब[illegible] 66 [illegible] किता 04 कुल रकबा 4.9900 हैक्ट. में मृतक हनुमान सिंह के [illegible] सिंह एवं मांगू सिंह के स्थान पर रामदेव पुत्र छगना राम व उगमा राम पुत्र हजारी [illegible] खातेदारी इन्द्राज दु[illegible]र तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:18:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

प्रार्थीगण अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण ने उल्लेख किया है कि लेसवा तहसील पुष्कर में स्थित आराजी जिसका खाता सं. नया 5 व पुराना 5 खसरा नं. 132 कुल रकबा 30–16–10 में से 1/4 हिस्सा प्रार्थीगण ने हनुमान सिंह पुत्र छीतर सिंह जाति राजपुत निवासी लेसवा से दिनांक 01.04.1992 को खरीद की थी। जिसका मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नवीन खसरा नं. 63 रकबा 0.09 हैक्ट., 64 रकबा 1.98 हैक्ट., 65 रकबा 2.85 हैक्ट., तथा 66 रकबा 0.07 हैक्ट. बने। किन्तु भू–बन्दोबस्त के दौरान नवीन जमाबन्दी 2069–72 प्रार्थीगण रामदेव पुत्र छगना व उगमा राम पुत्र हजारी राम के स्थान पर मृतक हनुमान सिंह के विधिक वारिसान उम्मेद सिंह पुत्र हनुमान सिंह हिस्सा 1/8 व मांगू सिंह पुत्र हनुमान सिंह हिस्सा 1/8 दर्ज है जबकि चौसाला जमाबन्दी के आधार अनुसार हनुमान सिंह वल्द छीतर सिंह हिस्सा 1/4 के स्थान पर प्रार्थीगण का हिस्सा 1/4 का अंकन स्वीकार किया गया था।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार पुष्कर को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/कोर्ट/2021/1884 दिनांक 15.09.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि "राजस्व ग्राम लेसवा के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2040–41 के खाता सं. 5 में वर्णित खसरा नं. 132 रकबा 30–16–10 बीघा पर नामान्तरकरण सं. 71 दिनांक 25.04.1992 जरिये बेचान द्वारा हनुमान सिंह वल्द छींतर सिंह हिस्सा 1/4 के स्थान पर खसरा नं. 132 रकबा 30–16–10 बीघा पर रामदेव पुत्र छगनराम व उगमाराम पुत्र हजारी जाति जाट सा. रावतखेड़ा तहसील डेगाना जिला नागौर हिस्सा 1/4 का अंकन स्वीकार हुआ का नोट अंकित है। तथा जमाबन्दी से वर्किंग खं. नं. 132 रकबा 30–16–10 बीघा अनुसार आधारी जमाबन्दी खसरा नं. मिलान क्षेत्रफल निम्नानुसार है–

वर्किंग खं. नं.	रकबा(बीघा)	आधार खं. नं.	रकबा(हैक्ट.)
132	30–16–10	63	0.09
		64	1.98
		65	2.85
		66	0.07

उपरोक्त प्रकरण में भू–सेटलमेंट विभाग द्वारा तैयार राजस्व रिकॉर्ड मिसल बन्दोबस्त के खाता सं. 58 अनुसार एवं आधार जमाबन्दी सम्वत् 2065–84 के खाता सं. 59 अनुसार, वर्किंग जमाबन्दी सम्वत् 2040–41 के खाता सं. 5 का नामान्तरकरण सं. 71 का अमल दरामद मिसल बन्दोबस्त के खाता सं. 58, एवं आधार जमाबन्दी सम्वत् 2065–84 के खाता सं. 59 में नहीं हुआ तथा पुनः मूल

02.10.21

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:18:47 IST
Reason: SelfAttested

…ार हनुमान सिंह वल्द छीतर सिंह हि. 1/4 अंकित हो गया। अतः वर्किंग …बन्दी 2040–41 के खाता सं. 5 अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2065–84 के खाता सं. 59 के खं. नं. 63, 64, 65, 66 कुल किता 04 रकबा 4.99 है0 पर वर्किंग खसरा नम्बरान अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है।"

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र/सहमति–पत्र इत्यादि से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम लेसवा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता सं. नया 5 पुराना 5 के कुल किता 04 रकबा 4.9900 हैक्ट. में मृतक हनुमान सिंह के विधिक वारिसान उम्मेद सिंह एवं मांगू सिंह के स्थान पर रामदेव पुत्र छगना राम व उगमा राम पुत्र हजारी राम खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती, … एवं न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है **कि राजस्व ग्राम लेसवा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता सं. नया 5 पुराना 5 के खसरा नं. 63 रकबा 0.09 हैक्ट., 64 रकबा 1.98 हैक्ट., 65 रकबा 2.85 हैक्ट., तथा 66 रकबा 0.07 हैक्ट. में मृतक हनुमान सिंह के विधिक वारिसान उम्मेद सिंह एवं मांगू सिंह के स्थान पर रामदेव पुत्र छगना राम व उगमा राम पुत्र हजारी राम हिस्सा 1/4 खातेदारी** (अन्य खातेदारों से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड यथावत्) दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.10.2021 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:18:47 IST
Reason: SelfAttested

02-10-21
सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आरएएस)